



झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
श्रमायुक्त कार्यालय, राँची।




आम सूचना

झारखण्ड सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 90 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों को पुनरीक्षित कर अधिसूचना संख्या-530, दिनांक-11.03.2024 द्वारा लागू कर दिया गया है, जो इस प्रकार है:-

श्रेणी	श्रेणी के तहत आने वाले क्षेत्र	न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें (रूपये में) दैनिक				न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें (रूपये में) मासिक			
		अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल व लिपिकीय	अतिकुशल	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल व लिपिकीय	अतिकुशल
A	राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र।	468	491	647	746	12168	12766	16822	19396
B	"A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत)	446	468	617	712	11596	12168	16042	18512
C	राज्य के अन्य क्षेत्र (A और B को छोड़कर)	425	446	588	678	11050	11596	15288	17628

श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें (रूपये में) दैनिक				न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें (रूपये में) मासिक			
	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल व लिपिकीय	अतिकुशल	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल व लिपिकीय	अतिकुशल
A	446	468	616	711	11596	12168	16016	18486
B	425	446	588	678	11050	11596	15288	17628
C	405	425	560	646	10530	11050	14560	16796



पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें, इस हेतु झारखण्ड राज्य के क्षेत्रों का वर्गीकरण तथा 90 अनुसूचित नियोजनों का वर्गीकरण की विस्तृत जानकारी हेतु QR Code को Scan किया जा सकता है अथवा Shramadhan Portal पर अधिसूचना देखी जा सकती है।

(राजेश प्रसाद)

निदेशक,

न्यूनतम मजदूरी, झारखण्ड, राँची।



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



21 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 142 राँची, सोमवार,

11 मार्च, 2024 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

11 मार्च, 2024

संख्या-530-531--न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11,1948) की धारा-3 की उप धारा-(1) के साथ के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, झारखण्ड द्वारा राज्य में निम्नलिखित 90 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कुछ कोटि के कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षित करने के उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप धारा-(1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार अधिसूचना प्रारूप पर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-01 दिनांक-01.01.2024 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, झारखण्ड गजट के प्रकाशन की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर आक्षेप और सूझाव आमंत्रित किए गए थे। उक्त अधिसूचना प्रारूप पर जनता से कोई आक्षेप और सूझाव प्राप्त नहीं हुई।

अतः झारखण्ड सरकार अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कुछ कोटि के कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करती है एवं इसे सम्पूर्ण झारखण्ड में लागू करती है।

दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्षदातृ पर्वद के बैठक में हुए सहमति के आलोक में न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षण हेतु निर्धारित 90 अधिसूचित नियोजनों (12 खण्ड दर नियोजन सहित) का वर्गीकरण एवं झारखण्ड राज्य के क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नवत किया जाता है। इसमें "झारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों /उपक्रमों /बोर्ड / स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन" को भी शामिल कर लिया गया है।

90 अनुसूचित नियोजन (खण्ड दर नियोजन सहित) का वर्गीकरण

क्र० सं०	श्रेणी *क* (कुल 49 नियोजन)	क्र० सं०	श्रेणी *ख' (कुल 41नियोजन)
1	2	3	4
1.	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों में नियोजन	1.	खण्ड सारी उद्योग में नियोजन
2.	पेट्रोल एवं डीजल पम्पस में नियोजन	2.	खादी ग्रामोद्योग में नियोजन
3.	इस अनुसूची में किसी भी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले के अलावा दुकानों या प्रतिष्ठानों या उद्योगों में नियोजन	3.	अबरक कार्यों (खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) में नियोजन
4.	होटल, भोजन-गृहों एवं रेस्तराओं में नियोजन	4.	हैंडलूम उद्योग में नियोजन
5.	सिनेमा उद्योग में नियोजन	5.	को-आपरेटिव सेक्टर में नियोजन
6.	मेस, कैन्टीन एवं क्लब में नियोजन	6.	होजियारी निर्माण में नियोजन
7.	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधि० 1976 से आच्छादित नियोजन	7.	उड वर्कस एवं फर्नीचर में नियोजन
8.	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों में नियोजन	8.	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान में नियोजन
9.	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माणकार्यों में नियोजन	9.	डेयरी एवं पोल्ट्रीफार्म में नियोजन
10.	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स में नियोजन	10.	सिलाई उद्योग में नियोजन
11.	किसी विश्व विद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान में नियोजन	11.	विजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग में नियोजन

12.	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी में नियोजन	12.	जिल्दसाजी उद्योग में नियोजन
13.	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इंस्टिट्यूट, निजी स्कूल आदि (गैर शिक्षण) में नियोजन	13.	दफती, कार्डबोर्ड, पिलबोर्ड, कारगेटेड बोर्ड, एस्ट्राबोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण में नियोजन
14.	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि में नियोजन	14.	प्लाइवूड उद्योग में नियोजन
15.	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों में नियोजन	15.	बिस्कुट उद्योग में नियोजन
16.	स्पंज आयरन, छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट में नियोजन	16.	मुद्रणालय में नियोजन
17.	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने में नियोजन	17.	पोट्रीज़ में नियोजन
18.	चार्टर्ड/कॉस्टअकाउंट्स/ऑडिटर/ टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक में नियोजन	18.	बेकरीज़ एवं कान्फकेशन में नियोजन
19.	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य में नियोजन	19.	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग में नियोजन
20.	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट में नियोजन	20.	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स में नियोजन
21.	अल्यूमिनियम उद्योग में नियोजन	21.	प्राइवेट फेरिज एण्ड एल०टी०सी० में नियोजन
22.	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग में नियोजन	22.	फिशरीज़ में नियोजन
23.	साबुन निर्माण उद्योग में नियोजन	23.	पंडाल आदि का साज सज्जा आदि में नियोजन
24.	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग में नियोजन	24.	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/ खलासी/ परिचालक आदि नियोजन
25.	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना में नियोजन	25.	मोटर गैराज एण्ड वर्कशॉप में नियोजन
26.	ग्लास सीट निर्माण में नियोजन	26.	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान में नियोजन
27.	बन्दुक कारखाने में नियोजन	27.	कृषि नियोजन

28.	पेपर उद्योग में नियोजन	28.	बुहारने और सफाई का कार्य में नियोजन
29.	रिफैक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग में नियोजन	29.	सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग में नियोजन
30.	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन	30.	केन्दू पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने में नियोजन
31.	शीशा उद्योग (ग्लास शीट को छोड़कर) में नियोजन	31.	लादने-उतारने में नियोजन
32.	ढलाई (फाउण्ड्री उद्योग) में नियोजन	32.	मिट्टी काटने के कार्य में नियोजन
33.	कोल ब्रिकेट उद्योग में नियोजन	33.	ईट निर्माण में नियोजन
34.	मिनरल ग्राईडिंग में नियोजन	34.	बीड़ी निर्माण में नियोजन
35.	ग्राईडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर में नियोजन	35.	पावरलूम इण्डस्ट्रीज में नियोजन
36.	हार्ड कोक भट्टा में नियोजन	36.	वन का संचालन तथा लकड़ी काटने के कार्यों में नियोजन
37.	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं में नियोजन	37.	हेयर कंटिंग सैलून में नियोजन
38.	चर्म-वस्तु निर्माण में नियोजन	38.	असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टेपूल धागों से निर्माण सहित सिल्क उद्योग में नियोजन
39.	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) में नियोजन	39.	पत्थर तोड़ने एवं पीसने में नियोजन
40.	सीमेंट से ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग में नियोजन	40.	चाय बगान में नियोजन
41.	डिस्टीलरी में नियोजन	41.	घरेलू नौकर का नियोजन

42.	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई में नियोजन		
43.	ऑटो मोबाईल इंजिनियरिंग शॉप में नियोजन		
44.	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में नियोजन		
45.	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) में नियोजन		
46.	मोटर बाँडी बिल्डिंग में नियोजन		
47.	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण में नियोजन		
48.	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन		
49.	झारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्ड/स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन		

मजदूरी दर पुनरीक्षण हेतु झारखण्ड राज्य के जिलों/क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्र०स०	श्रेणी	आच्छादित क्षेत्र
1	2	3
1	"A"	राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र
2	"B"	"A"श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगरनिकाय क्षेत्र (नगरनिगम, नगर परिषद् व नगर पंचायत)
3	"C"	राज्य के अन्य क्षेत्र

उक्त वर्गीकरण के पश्चात् झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्षदातृ पर्षद में हुए चर्चा एवं प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों का पुनरीक्षण इस प्रकार किया जाता है:-

(क) दिनांक- 1 अक्टूबर 2023 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें इस प्रकार हैं:-

क्र०सं०	कोटि	1 अक्टूबर 2023 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें	
		दैनिक	मासिक
1	2	3	4
1	अकुशल	352.38	9162.88
2	अर्द्धकुशल	369.17	9598.42
3	कुशल	486.64	12652.6
4	अतिकुशल	562.14	14615.6

- (ख) 1 अक्टूबर 2023 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर 15% वृद्धि कर भाग 'ख' के अंतर्गत आनेवाले 'C' क्षेत्र के नियोजनों के मूल मजदूरी का निर्धारण किया जाता है।
- (ग) भाग 'ख' के अंतर्गत 'B' क्षेत्र के नियोजनों हेतु 'C' क्षेत्र के पुनरीक्षित मूल मजदूरी को 1.05 से गुणा कर मूल मजदूरी की दरें निर्धारित किया जाता है। तथा
- (घ) भाग 'ख' के अंतर्गत 'A' क्षेत्र के नियोजनों हेतु 'C' क्षेत्र के पुनरीक्षित मूल मजदूरी को 1.10 से गुणा कर मूल मजदूरी की दरें निर्धारित किया जाता है।
- (ङ) भाग 'क' के अंतर्गत वर्गीकृत नियोजनों हेतु 'C' क्षेत्र के लिए उपर्युक्त क्रमांक (ख) द्वारा निर्धारित किए गए मूल मजदूरी को 1.05 से गुणा कर मूल मजदूरी की दरें निर्धारित किया जाता है।
- (च) भाग 'क' के अंतर्गत वर्गीकृत नियोजनों हेतु 'B' क्षेत्र के लिए उपर्युक्त क्रमांक (ङ) द्वारा निर्धारित किए गए मूल मजदूरी को 1.05 से गुणा कर मूल मजदूरी की दरें निर्धारित किया जाता है।
- (छ) भाग 'क' के अंतर्गत वर्गीकृत नियोजनों हेतु 'A' क्षेत्र के लिए उपर्युक्त क्रमांक (ङ) द्वारा निर्धारित किए गए मूल मजदूरी को 1.10 से गुणा कर मूल मजदूरी की दरें निर्धारित किया जाता है।

श्रेणी "क" के तहत वर्गीकृत अधिसूचित नियोजन हेतु न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मूल मजदूरी

क्र० स०	झारखण्ड राज्य के क्षेत्रों का वर्गीकरण	अकुशल		अर्द्धकुशल		कुशल एवं लिपिकीय		अतिकुशल	
		दैनिक	मासिक	दैनिक	मासिक	दैनिक	मासिक	दैनिक	मासिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"A" श्रेणी के क्षेत्र	468	12168	491	12766	647	16822	746	19396
2	"B" श्रेणी के क्षेत्र	446	11596	468	12168	617	16042	712	18512
3	"C" श्रेणी के क्षेत्र	425	11050	446	11596	588	15288	678	17628

श्रेणी "ख" के तहत वर्गीकृत अधिसूचित नियोजन हेतु न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मूल मजदूरी

क्र० स०	झारखण्ड राज्य के क्षेत्रों का वर्गीकरण	अकुशल		अर्द्धकुशल		कुशल एवं लिपिकीय		अतिकुशल	
		दैनिक	मासिक	दैनिक	मासिक	दैनिक	मासिक	दैनिक	मासिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"A" श्रेणी के क्षेत्र	446	11596	468	12168	616	16016	711	18486
2	"B" श्रेणी के क्षेत्र	425	11050	446	11596	588	15288	678	17628
3	"C" श्रेणी के क्षेत्र	405	10530	425	11050	560	14560	646	16796

- इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप धारा-(1) के खण्ड-(III) के अंतर्गत होगी।
- यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

टिप्पणी:-

- न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386, जो जुन, 2023 के सूचकांक व झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्षदातृ पर्षद की बैठक में हुए सहमति/विमर्श पर आधारित है।

- (ख) झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्षदातृ पर्वद की सहमति के आलोक में पुनरीक्षित मजदूरी कर दरें पूर्णांक (round off) में परिवर्तित कर दिया गया है।
- (ग) न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-4 की उप धारा-4(1) के खण्ड (III) के अन्तर्गत होंगी।
- (घ) मासिक मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में रूपांतरण क्रमशः 26 से भाग दे कर और 26 से गुणा कर के किया जाएगा।
- (ङ) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त पुनरीक्षित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।
- (च) साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करने वाला कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का भुगतान पाने का हकदार होगा।
- (छ) पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

स्पष्टीकरण:-

अकुशल:-

बजरी फैलाने वाला, बेलदार, बीटर महिला, बैलवुमन, चैनमैन, नाविक बाल्टी वाला वाहक (पत्थर), वाहक (पानी), गाड़ीवाहक, केयरटेकर (पुल), क्लीनर (क्रेन, ट्रैक, राखगर्त के लिए सिंडर), चैकीदार, कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला), दफादार, ड्राईवर (बैल, ऊँट, गधा, खच्चर), झंडीवाला, झंडीवाला (ब्लास्ट ट्रेन), गेटमैन, गैंगमैन, गेटिंगमैन (स्थायी पथ), हैंडलमैन, जम्परमैन, कामिन, (महिला कार्य), खलास, पुल, विद्युत, मैरीन, मोपलाह, भंडार, स्टीम रोड, शेयर, रोलर सर्वे, श्रमिक (गार्डन), मजदूर, होल कटर, लारी प्रशिक्षु, पेट्रोलमैन, चपरासी, तलाशीकत्रता, सिगनलमैन, स्ट्राईकर, स्ट्राईकर (मोपलाह गैंग), स्वीपर, टाल बाय, टाईल टर्नर, ट्रालीमैन, वक्स कन्ट्रोलर, वाल्वमैन, वाचमैन, सफेदीवाला, वूडरमैन, वडरोमैन, बोरीमैन, कोलमैन, कंडेंसर, परिचर, घास काटनेवाला, मुच्छर जमादार, कन्डेन्सर परिचर, शंटर और अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अकुशल प्रकृति के हों जिसमें बहुत ही कम या कुछ भी कुशलता या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाय।

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय:-

बेलचे वाला, भिश्ती, भिश्ती (मूषक सहित), नववाला (प्रधान), भंजक (चट्टान, पत्थर प्रस्तर धातु, पत्थर), बेंत बुनने वाला, चैनमैन (प्रधान), चारपाई कसने वाला, जाँच पड़ताल कर्ता, चैकीदारी (प्रधान), सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार), क्रेकर, दफ्तरी, डालीमैन, सहायक, ड्रिलर, चालक (स्किन), उत्खनक, फेरोमैन, फायरमैन, फायरमैन (ईटो का भट्टा स्टीम रोड रोलर) गेटकीपर, घरामी थेचर, शीशेवाला, ग्रेटर, ग्रीसर एवं फायरमैन, ग्राइण्डर, हथौड़ेवाला, सहायक (कारीगर), सहायक (आराकश), सहायक दर्जी, जमादार, की-मैन, खलासी (प्रधान सर्वेक्षक, रिक्टर, मोपलाह गैंग, पर्यवेक्षी), श्रमिक (चट्टानकर्तन), लश्कर, माली, (प्रधान) मैट, मैट (लोहार सड़क, काष्ठकार इंजिन चालक और/याफीडर, फिटर गैंग, खलासी, मजदूर राज, स्थायी पथ, पम्प ड्राईवर, टर्नर), मजदूर (भारी वजन), चार्जमैन, मुकादम, रात्रिगार्ड, रनर (पोस्ट डाक), सहायक चाय बनाने वाला परोसने वाला, (सर्विस मैन), बेरा, वेटर, तेलवाला, खदानकार, खदान प्रचारक, स्टोन मैन, भण्डारवाला, थेचर, भंडारवाले और बायलर मैन, थुम्बमैन (स्पेडकर्मी), टिंडलस, ट्रॉलीमैन (प्रधान मोटर), फिटर (सहायक, अर्द्धकुशल), जमादार (अर्द्धकुशल), मैट (पत्थर), पम्प अटेंडेंट, पोस्टर ब्वॉय, प्वाइंटर, अशितापक, वाहक, ब्रेकमैन, कोल्डमैन, डांडी, फ़राश, हैक्सामैन, सहायक(लोको, क्रेन/ट्रक) कसाब, खलासी (संरचना), प्रयोगशाला, परिचर, मांझी (नाव वाला), मसालची, पी०एम० मेटस, प्वाइंट्समैन सेनकन्मी, टोपाज, तोपकार (बड़े पत्थर तोड़ने वाला), ट्राली जमादार, विंचमैन, हाजिरी लगानेवाला, सहायक वायर मैन और अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अर्द्धकुशल प्रकृति के हों जिनमें अनुभव के आधार पर कुछ कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षक/मार्गदर्शन में किया जा सकता है, चाहे वे किसी भी नाम पुकारे जाय।

कुशल:-

सहायक मिस्त्री, आर्मेचर वाईंडर श्रेणी II और III, भण्डारी, लोहार, लोहार (चयन श्रेणी, ग्रेड-II, III वर्ग- II और III), बायलर मैन, बायलर मैन श्रेणी II, III, बायलर फोरमैन श्रेणी II, कार्य (सहायक), ईट बिछाने वाला (चयन श्रेणी II), ब्लास्टर, बढई, बढई (चयन ग्रेड, ग्रेड II व III, वर्ग I व III), सहायक बी०आई०एम० रोड), केबिनेट बनानेवाला, सुरक्षा गार्ड (शस्त्र सहित), केनमैन, स्लोटेक्स, कटर बनाने वाला चार्जमैन, श्रेणी II और III, काष्ठकार (साधारण), जाँच पड़तालकर्ता (कनिष्ठ), चिक बनाने वाला, चिकवाला (कनिष्ठ), कंक्रीट मिश्रण मिश्रक, कंक्रीट मिश्रक प्रचालक, मोची, कोर मेकर, चालक, चालक मोटर वाहन, मोटर वाहन चयन श्रेणी, मोटर लॉरी श्रेणी II, लॉरी ग्रेड II डीजल इंजन, डीजल इंजन श्रेणी II, यांत्रिक रोड रोलर, आई०सी० और सीमेंट मिश्रक आदि रोड रोलर, रोड रोलर चालक श्रेणी II, चालक (इंजन स्थिर, स्टोन, क्रशर, ट्रैक्टर/बुलडोजर, स्टीम, रोड रोलर, जल पम्प, यांत्रिक सहायक, रोड रोलर, यांत्रिक स्टीम और क्रेन, बुलडोजर सहित, ट्रैक्टर यांत्रिक, परिवहन, इंजन, स्थिर और रोड रोलर, बायलर परिचर इंजन), प्रचालक(स्टोन क्रेशर यांत्रिक, डिस्टडिस्टैंपुरर, बिजली मिस्त्री, बिजली मिस्त्री (श्रेणी II वर्ग II, और वर्ग III) फिटर, फिटर (चयन श्रेणी, श्रेणी III, वर्ग III), पाईपलाईन एंडिंग बार्स फॉर री-इंफोर्समेंट, कम-मैकेनिक, यांत्रिक और नलसाज), घरामी (प्रधान), ग्लेजियर, विस्फोटन के लिए छिद्र ड्रिलर, जॉयनर, जॉयनर केबल, केबल श्रेणी II, लाईन मैन (ग्रेड II, III, उच्च दाब/कम दाब) राजमिस्त्री, राजमिस्त्री (चयन श्रेणी, श्रेणी

II, III, और वर्ग ख मिस्त्री) स्टोन वर्ग II, ईंट का काम, पत्थर का कार्य, ईंट बिछानेवाला, टाइल फ्लोरिंग, बी०आई०एम०, मुक्कदम (प्रधान), पत्थर कर्तन, साधारण मिस्त्री, मैकेनिक, यांत्रिक (वर्ग II, वातानुकूलन, वातानुकूलन, श्रेणी II, रोड रोलेर श्रेणी II, सहायक, रेडियो) राजमिस्त्री (घरमी), मिस्त्री श्रेणी II, वातानुकूलन श्रेणी II, स्थायी पथ, सर्वेक्षण संतराश कार्य) राजमिस्त्री वर्ग क, मोल्डर, मोल्डर (ईंट, टाइल), रंगपेंटर, रंगपेंटर (चयन श्रेणी, ग्रेड II, और III वर्ग II, सहायक लाटर और पोलिशर, पॉलिशर रफ (प्लास्टरकर्ता) (राजमिस्त्री ग्रेड II) नलसाज, नलसाज (चयन ग्रेड, वर्ग II, सहायक लाटर और पॉलिशर, रफ) प्लास्टरकर्ता, प्लास्टरकर्ता (राजमिस्त्री ग्रेड II), नलसाज (चयन ग्रेड, वर्ग- II) सहायक वरिष्ठ, कनिष्ठ, मिस्त्री श्रेणी II) नालसाज मिस्त्री, नालसाज-सह-फिटर, पालिशगर, पालिशगर (फर्श), पम्प चालक, पम्प चालक (चयन श्रेणी), श्रेणी II और III, वर्ग II), पम्पचालक चयन श्रेणी, पी०ई०, बुकिंग क्लर्क, टंकक, सहायक वातानुकूल परिचालक), परिचालक, चालक, पम्पवाला, पम्पवाला (सहायक) नालसाज पालिशकर (स्प्रे सहित), श्रेणी II, रतनमैन, रिविट कटर (सहायक) रिविटर, रिविटर (कटर), सड़क निरीक्षण श्रेणी II, रेलवे प्लेट लैयर, रोड बेन्डर, आराकश, आराकश (चयन श्रेणी वर्ग II), सुरंग, सुरंग पाइल ड्राईविंग पैन्टूमस, बायलर सहित, शेपमैन, पारी प्रभारी, स्प्रे मैन, स्प्रे मैन (रोड), स्टोनकटर, (चयन ग्रेड, ग्रेड II, वर्ग II) स्टोन चिसलर, स्टोन चिसलर (वर्ग II), पत्थर विस्फोटकर्ता, उप ओवरसियर (अनहर्क) सर्वेक्षक, सर्वेक्षक (सहायक), दर्जी (अपहॉलस्ट्री), ट्रांसप्रेयर तारमैन, लाइनमैन, टाइलर वर्ग II, दीवार (फर्श, छते), टाइलर (चयन श्रेणी), टीनकार टीनकार (चयन श्रेणी, श्रेणी II और III, वर्ग II), ठठेरा, ट्रेलर्स, टर्नर, सोफ्राकाज, सोफ्राकाज (श्रेणी II और III), रंगसाज स्प्रे (वर्ग II), लकड़ी काटने वाला, लकड़ी काटने वाला चयन श्रेणी, लकड़ी काटने वाला श्रेणी II, वर्क सिरकार, झलाईगर, गैस झलाईगर (वर्ग II) पुल कार्य) कूप निमज्जक, सफेदी वाला, सफेदीवाला (चयन श्रेणी वर्ग II), वायरमैन, वायर मैन (श्रेणी II और III, यांत्रिक, विधुत) वाइट वाशिंग एंड कलर वाशिंग मैन, वातिक औज़ार प्रचालक, प्रचालक (फिटर), बोरमैन, बेधक, छिलाईगार छिलाईगार एवं पिसाईगार, रसोईया (प्रधान) ड्रिलर, ड्रिलर (कूप वेधन) चालक (लोको/ट्रक), बिजली मिस्त्री (सहायक), यांत्रिक (नलकूप), मिस्त्री (स्टेल, ट्यूब-वेल, टेलीफोन), मीटर रीडर, मौसम प्रेक्षक, नावधानी प्रचालक (बैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम्प, शेल्व, संपवीडिक, ग्रेन, डौरिक, डीजल इंजन, डोजर, ड्रेगलिंग, ड्रिल डंपर, उत्खनक, फोर्क, लिफ्ट, जनित्र, ग्रेडर, जैक हैम्पर और पेमेंट ब्रेकर लोडर, पम्प, पाईल चालन, स्क्रैपर, स्क्रिनिंग संयंत्र, शोवेल, ट्रैक्टर, वाइब्रेटर, वेटबैचर, रेल गार्ड, रिपेयरर (बैटरी), शार्पर/स्लारट, स्प्रेयर (एशालट) स्टेशन मास्टर, सर्वेक्षक (सिल्ट), ट्रेड्समैन, ट्रेन परीक्षक, टर्नर/मिलर, टायर बल्केनाइजर, बावर्ची, कारीगर, हलवाई, महाराज, सहायक महाराज, रसोईया, रोटी कारीगर, आईस्क्रीम मिस्त्री, डोसा मास्टर, प्रधान वेटर, प्रधान बेरा कुशल प्रकृति की कोई अन्य श्रेणियाँ चाहे जिनमें कार्य के अनुभव के आधार पर या किसी तकनीकी या किसी व्यवसायिक संस्थान में शिल्पी के रूप में प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है तथा जिसके निष्पादन के लिए पहल और विवेक के आवश्यकता होती है, उनके नाम कुछ भी हों।

लिपिकीय:-

एम०सी० लिपिक, मुंशी (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट), भंडार लिपिक (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट), जारीकर्ता, भंडार रक्षक भंडार, रक्षक वर्ग I और II (मैट्रिकुलेट), मिलान लिपिक, समय पाल, समयपाल(मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट), बुक कीपर, कार्य मुंशी, (अधीनस्थ)

लेखालिपिक, लिपिक, संगणक, टेलीफोन प्रचालक, टंकक, अन्य कोई प्रवर्ग चाहे जिस नाम से पुकारा जाए जो कि लिपिकीय प्रकृति के हों।

अतिकुशल:-

आर्मेचर वाइडर श्रेणी I, लोहार श्रेणी I, और वर्ग I, बायलरमैन श्रेणी I, बायलरमैन फोरमैन श्रेणी I, ईट बिछाने वाला वर्ग I, केबल संयोजक श्रेणी I, काष्ठकार श्रेणी I, और वर्ग I, सोलो कटर और सजावटकार, चार्जमैन वर्ग I, जाँच पड़तालकर्ता (ज्येष्ठ), चालक लारी श्रेणी ग्रेड I, मोटर लारी श्रेणी I, मोटरवाहन वर्ग I, और डीजल इंजन श्रेणीआई, रोड रोलर श्रेणी I, पम्प वर्ग विधुतकर्मी श्रेणी I और वर्ग II/श्रेणी I, फिटर (श्रेणी I और वर्ग I), पाईप वर्ग I (प्रधान), फोरमैन, (सहायक) लाइनमैन श्रेणी I राज(कुशल श्रेणी I वर्ग I), मास्ट रिंग, मैकेनिक वर्ग I और वर्ग II, मैकेनिक (डीजल) श्रेणी I और रोडरोलर श्रेणी I, वातानुकूलन श्रेणी II/वर्ग I/मिस्त्री श्रेणी I, मिस्त्री (वातानुकूलन श्रेणी I), ओवरसियर, ओवरसियर (ज्येष्ठ और कनिष्ठ) रंगसाज श्रेणी I, वर्ग I, स्प्रे), प्लास्टरकर्ता (राज) वर्ग I, नलसाज (प्रधान वर्ग I) मिस्त्री श्रेणी I, पालिशकर्ता (स्प्रे सहित) वर्ग I, सड़क निरीक्षक वर्ग I, आराकश श्रेणी I, स्टोन कटर वर्ग I, स्टोन चिलनर श्रेणी I, स्टोन मिस्त्री श्रेणी I, उप ओवरसियर (योग्यताप्राप्त), टाइलर वर्ग I, टीनकार श्रेणी I, वर्ग I, सोफासाज श्रेणी I, वार्निशकार वर्ग I, वेल्डर एवं फिटर और वातानुकूलन, मैकेनिक झलाईकार (गैस) वर्ग I, सफेदी वाला वर्ग I, वायर मैन श्रेणी I, वर्ग I, काष्ठ काटनेवाला वर्ग I, घिसाईकार (औजार) श्रेणी I, प्रचालक (बैचिंग प्लांट) श्रेणी I, क्लैम्प शैल श्रेणी I, कम्प्रेसर श्रेणी I, क्रैन श्रेणी I, डीजल इंजन श्रेणी I, डोजर ग्रेड I, ड्रेललाइन वर्ग I, ड्रिल श्रेणी I, डंपर श्रेणी I, उत्खनक श्रेणी I, फोर्क लिफ्ट श्रेणी I, जनित्र श्रेणी I, ग्रेडर श्रेणी I, लीडर श्रेणी I, पाईल ड्राइविंग श्रेणी I, पम्प श्रेणी I, स्क्रैपर श्रेणी I, स्क्रीनिंग संयंत्र श्रेणी I, शावल श्रेणी I, शावल और ड्रेगलाइन, ट्रैक्टर श्रेणी I, वाइब्रेटर श्रेणी I, रिगर श्रेणी I, रिगर श्रेणी II, चार्पर/स्लेटर श्रेणी I, शावल और ड्रेगलाइन, ट्रैक्टर श्रेणी I, ट्रेड्समैन वर्ग I, टर्नर/मिलर श्रेणी I, टायर बलकेनाइजर श्रेणी I, कार्य (सहायक) श्रेणी I, वातानुकूल परिचालक, चित्रकार, प्रधान बावर्ची, प्रधान खानसामा, प्रधान महाराज, प्रधान कारीगर और कोई अन्य प्रवर्ग जो अति कुशल प्रवृत्ति के हों, जिनमें सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या वर्षों के व्यवहारिक कार्य अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री तथा पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है और इन कार्यों के निष्पादन हेतु कामगारों में विवेक या विनिश्चय के लिए, पूरी जवाबदेही की आवश्यकता होती है, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जायें।

संख्या-01/श्रमा0का0/झा0न्यू0म0परा0र्ष0/02/2019 श्र0नि0-राँची, दिनांक-.....

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवर सचिव,
श्रमायुक्तकार्यालय,झारखण्ड।

अधिसूचना

एस०ओ०.....एस०ओ०..... दिनांक-..... का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

संख्या-01/श्रमा०का०/झा०न्यू०म०परा०र्ष०02/2019 श्र०नि०-राँची, दिनांक-.....

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवर सचिव,
श्रमायुक्तकार्यालय, झारखण्ड।

Notification

S.O.....

Ranchi, Dated-.....

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Minimum Wages Act, 1948(11,1948), the Governor of Jharkhand, in the powers conferred by the Governor, Jharkhand on certain categories of employees employed in the following scheduled employments in the state want to revise the basic rate of minimum wages prescribed for. The following draft of the proposal related to this is published as per the requirement of clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act for the information of the persons who may be affected by it and is informed that in Jharkhand Gazette the said proposal will be considered after two months from the date of publication of this notification.

On or before the date of expiry of the said period of two months, no any objections or suggestions has been received from any person regarding this proposal, the state government will consider it.

In the light of the consensus reaches in the meeting of Jharkhand Minimum Wages Advisory Board on October 11, 2023, the classification of 90 notified schedule Employments (including 12 Piece rated schedule Employments) fixed for the minimum wage revision and the classification of areas of Jharkhand state is made as follows. It also includes “Employment of employees working in government offices/undertakings/boards/local bodies in the state of Jharkhand”.

Classification of 90 Scheduled Employments (including Piece Rate Employment)

Sl. No.	CATEGORY “d” (Total 49 Employments)	Sl. No.	CATEGORY “k” (Total 41 Employments)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Employment in Shops selling cooked food stuff	1.	Employment in Khand Sari Industry
2.	Employment in Petrol & Diesel Pumps	2.	Employment in Khadi & Village Industry
3.	Employment in shops or establishment other than that covered under any of the other entries in this schedule	3.	Employment in Mica Works (Factories & Estd. excluding Mines)
4.	Employment in Hotels, Eating Houses & Restaurants.	4.	Employment in Handloom Industries
5.	Employment in Cinema Industry	5.	Employment in Co-operative sector.
6.	Employment in Mess, Canteen & Clubs	6.	Employment in Hosiery Manufacturing.
7.	Employment in sales promotion (Conditions of service) Act, 1976.	7.	Employment in Wood works & Furniture.
8.	Employment in Dam Construction & Irrigation.	8.	Employment in Any woolen carpet making and shawl weaving establishments
9.	Employment in Construction or Maintenance of Road or in building construction.	9.	Employment in Dairies and Poultry Farms.
10.	Employment in Private Hospitals Nursing Homes and Clinics	10.	Employment in Tailoring Industry
11.	Employment in Any Universities, Educational Research or Cultural Institution.	11.	Employment in Electric & other type of Bulbs & Florence Tube manufacture Industry
12.	Employment in Private security agency.	12.	Employment in Book Binding Industry
13.	Employment in Private Technical Institution, Coaching Institute & Private Schools (Non-teaching).	13.	Employment in Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactory.
14.	Employment in Computer Educational Institute etc.	14.	Employment in Plywood Industry

15.	Employment in Rice Mill, Flour Mills, DaI Mills & Oil Mills.	15.	Employment in Biscuits Industry
16.	Employment in Sponge Iron, Rod Manufacturing & Manufacturing of angle from Iron & Ingots.	16.	Employment in Printing Press.
17.	Employment in laying of Under Ground Cables, Electronic lines, Water supply lines & Sewerage Pipe Line.	17.	Employment in Potteries.
18.	Employment in Chartered/Cost Accounts, Auditors, Tax Consultancy and Architects.	18.	Employment in Bakeries & Confectionaries.
19.	Employment in Mobile Tower	19.	Employment in Laundry & Washing.
20.	Employment in Public Motor Transport	20.	Employment in Ice cream and cold drink.
21.	Employment in Aluminum Industry	21.	Employment in Private Ferries and L.T.C
22.	Employment in Chemical Pharmaceutical Industry	22.	Employment in Fisheries.
23.	Employment in Soap Making Industry	23.	Employment in Decoration of Pandal etc.
24.	Employment in Cement prestressed products Industry.	24.	Employment in Bus and Truck Driver/Conductor & Cleaners.
25.	Employment in Asbestos Cement Factory	25.	Employment in Motor garages & Workshops.
26.	Employment in Glass Sheet Building	26.	Employment in Religious & Social Industry.
27.	Employment in Gun Factory	27.	Employment in Agriculture.
28.	Employment in Paper Industry	28.	Employment in Sweeping & Cleaning.
29.	Employment in Refractories, Fire Bricks, Ceramic Industry.	29.	Employment in Sindur and colour manufacturing Industries.
30.	Employment in Plastic Industry	30.	Employment in Plucking and Processing of kendo-leaves
31.	Employment in glass industries (excluding glass sheet)	31.	Employment in Loading and Unloading Operation.

32.	Employment in Foundry Industries	32.	Employment in Earth Cutting Operation
33.	Employment in Coal Briquette Industries	33.	Employment in Brick Manufacturing
34.	Employment in Mineral Grinding Industries	34.	Employment in Beedi Manufacturing.
35.	Employment in Grinding and Crushing of Mineral ore.	35.	Employment in Power Loom Industry
36.	Employment in Hard coke ovens.	36.	Employment in Forestry and Timbering Operation
37.	Employment in Tanneries & Leather manufactory.	37.	Employment in Hair Cutting Saloon
38.	Employment in Leather goods Manufacturing.	38.	Employment in Silk Industry Manufactory from pure Silk, artificial silk and other staple yarn
39.	Rubber and rubber compound industry (in which manufacture of tyre & tube is also included) .	39.	Employment in Stone Breaking and Stone Crusher Operation
40.	Employment in Cement Hume Pipe, Electric Pole & Railway Sleeper manufacture Industry	40.	Employment in Tea Plantation
41.	Employment in Distilleries.	41.	Employment of Domestic Servant
42.	Employment in Electricity Generators and supply.		
43.	Employment in Auto Mobile Engineering.		
44.	Employment in Electronic Industries.		
45.	Employment in Minor Engineering Industry (excluding Auto Mobile Engineering Shops)		
46.	Employment in Motor Body Building		
47.	Employment in Manufacture of Gold/Silver Ornaments & Articles of Artistic Design		

48.	Employment in Cold Storage.		
49.	Employments of workers engaged in Government Offices/Undertakings/Boards & Local Bodies in the state of Jharkhand.		

Classification of districts/ areas of Jharkhand State for Wage Rate Revision.

Sl.No.	Category	Covered Areas
1	2	3
1	“A”	Ranchi Municipal Corporation, Chas Municipal Corporation, Dhanbad Municipal Corporation, Deoghar Municipal Corporation, Hazaribagh Municipal Corporation and Jamshedpur Notified Area, Mango Municipal Corporation, Jugsalai Municipal Council and Adityapur Municipal Corporation Areas.
2	“B”	All Civic Body/ Municipal Areas and Notified Area except “A” category Panchayat)
3	“C”	Other areas of the state.

After the above classification, based on the discussions held in the Jharkhand Minimum Wages Advisory Council and the representations received, the basic rates of minimum wages are revised as follows:-

(a) The Minimum wage rates determine from October 1, 2023 are as follows:-

Sl. No	Category	Minimum wage rates determined from October1,2023	
		Daily	Monthly
1	2	3	4
1	Unskilled	352.38	9162.88
2	Semi-Skilled	369.17	9598.42
3	Skilled	486.64	12652.6
4	Highly Skilled	562.14	14615.6

- (b) From October 1, 2023, the basic wage of the ‘C’ area employments falling under Part ‘[k’ are determined by increasing the minimum wage by 15%.
- (c) Under part ‘[k’, for employments in ‘B’ area, the basic wage rates are determined by multiplying the revised basic wage of ‘C’ area by 1.05 and

- (d) Under part 'k', for employments in 'A' area, the basic wage rates are determined by multiplying the revised basic wage of 'C' area by 1.10.
- (e) For employments classified under part 'd', the basic wage rates for 'C' area are determined by multiplying the basic wage determined by above mentioned number(b) by 1.05.
- (f) For employments classified under part 'd', the basic wage rates for 'B' area are determined by multiplying the basic wage determined by above mentioned number(e) by 1.05.
- (g) For employments classified under part 'd', the basic wage rates for 'A' area are determined by multiplying the basic wage determined by above mentioned number(e) by 1.10.

Revised Basic Rates of Minimum Wage for Schedule Employments under Category "क"

Sl. No.	Classification of regions of Jharkhand State	Unskilled		Semi-Skilled		Skilled and Clerical		Highly Skilled	
		Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CategoryAreas "A"	468	12168	491	12766	647	16822	746	19396
2	CategoryAreas "B"	446	11596	468	12168	617	16042	712	18512
3	CategoryAreas "C"	425	11050	446	11596	588	15288	678	17628

Revised Basic Rates of Minimum Wage for Schedule Employments under Category "ख"

Sl. No.	Classification of regions of Jharkhand State	Unskilled		Semi-Skilled		Skilled and Clerical		Highly Skilled	
		Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly	Daily	Monthly
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CategoryAreas "A"	446	11596	468	12168	616	16016	711	18486
2	CategoryAreas "B"	425	11050	446	11596	588	15288	678	17628
3	CategoryAreas "C"	405	10530	425	11050	560	14560	646	16796

2. The Minimum rates of wages thus revised will be under clause(III) of sub-section (1) of section 4 of the said Act.

42. This notification will be effective from the date of issue.

NOTE:-

- (a) The Basic rates of Minimum wages above are based on the All India Consumer Price Index Number 386, which is Price Index of June, 2023
- (b) In the light of the consent of Jharkhand Minimum wage Advisory Board, the revised wage tax rates have been rounded off.
- (c) The revised rates of Minimum Wages shall be within the meaning of clause(III) of sub-section (1) of section-4 of the Minimum Wages Act, 1948.
- (d) Conversion of the monthly rates of wages into daily rates of wages and viceversa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and multiplying the daily rates by 26.
- (e) The revised rates of Minimum Wages above include the remuneration payable to the employees in respect of the day of rest in every period of seven days.
- (f) An employee shall, for the work done on the weekly day of rest, be entitled to overtime payment of the rate prescribed in rule-25 of the Jharkhand Minimum Wages Rules-1951.
- (g) Men and Women workers shall get the same rates of wages for the work of a similar nature.

EXPLANATION :-**Unskilled :-**

Bajri Spreader, Balder, Beater Women, Bell-Woman, Chain Man, Boat Man, Bucket Man, Carrier (Stone), Carrier (Water), Cart Man, Caretaker (Bridge), Cleaner (Crane, Truck, Cinder for ash pit), Chowkidar, Concrete (Hand Mixer), Daffodil, Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule), Flag Man, Flagman (Blast Train), Gate Man, Gagmen, Gating man (Permanent Way), Handle Man, Jumper Man, Kamin (Female Work), Khalasi, Bridge, Electrical, Marine, Moplah, Store, Steam Road, Share, Roller Survey, Laborer (Garden), Mazdoor, Hole Cutter, Lorry Trainees, Patrolman, Peon, Searcher, Signal Man, Strikers, Striker (Moplah gang), Sweeper, Tall Boy, Tile Turner, Trolley man, Vaks Controller, Valve man, Watchman, White Washer, Wooder man, Wooder Women, Coal man, Condenser, Attendant, Grass Cutter, Muchhers jamadars, , Condenser Attendant, Shunters, and any other categories by whatever name called, which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job and are of an unskilled nature.

Semi-Skilled/Unskilled Supervisory :-

Belchawala, Bhisti, Bhisiti (with Mushk), Boatman (Head), Breaker, Breaker, Stone, Rock Stone, Mental, Canweaver, Chain-man (Head) Security Guard (Without arms), Cracker, Dafit, Dollyman, Assistant, Driller, Driver (Skin), Excavator, Ferroman, Fireman, Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller), Gate Keeper, Gharami Thatcher, Glassman, Grater, Greaser-Fireman, Grinder Hummerman, Helper (Artisan), Helper (Assistant), Assistant

Tailor, Helper (Sawyer), Jamadar, Keymna, Khalasi (Head Survery, Rivertters-Moplah Gang, Supervisory), Labourer (Rock-Cutting), Lascar, Mali (Head), Mate, Mate (Blacksmith,Road, Carpenter), Engine Driver and/or Feeder, Fitter, Gang, Khalasi, Mazdoor Mason, Permanent Way, Pump-Driver Turner), Mazdoor (Heavy-weight), Poster Boy, Pointer, Chargeman, Mistri (Head, Muccadam, Night-guard, Runner (Post dak), Oilman, quarryman, quarry operator, Stoneman, Stocker, Thatcher, Stockers and Boilerman, Thoombaman (Spade worker), Tindals, Trollyman (Head motor), Fitter (Assitant Semi Skilled), Jamadar, (Semi Skilled), Teaman, Tea maker, Jogira, Service man, Table Boy, Bearer, Waiter, Assistant Service Man, Mate (Stone), Pump Attendant, Bearer, Breakman, Crowlder Man, Cook Dandee, Frash, Kacksawman, Helper (Locco-Crane/Truck), Kadab, Khalasi (Structural), Laboratory Boy, Manjhee (Boatman), Masalchi P.M. Mates, Pointsman Sencummy, Topas, topkar (Big Stone Breaker), Trolly Jamadar, Winchman, Attendance-Keeper, Assistant Wireman and any other Categories by whatever name called which involve some degree of skill or compentence acquired through experience of the Job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of skilled employee and are Semi Skilled nature.

Skilled :-

Assistant Mistry, Armature Winder Grade-II and III, Bhandari, Blacksmith, Blacksmith (Section Grade-II, III, class-II and III), Boiler man, Boiler man, Grade-II, III Boiler Foreman Grade-II, Work (Assistant) Brick layer, Brick layer (Selection Grade Class-II, Blaster, Carpenter, Carpenter (Selection Grade-II and III, Class-I and III Assistant, B.I.M. Road, Cabinet Maker Security Guards (With arms) Cane man, Caltex, Cutter Maker, Charge man Class-II and Class-III, Carpenter Ordinary), Checkder (Junior), Chick maker, Chick mixture Operator, Cobbler, Core maker, Driver, Driver Motor Vehicle, Motor Vehicle Selection Grade, Motor Lorry, Motor Lorry Grade-II, Lorry Grade-II, Diesel Engine, Diesel Engine Grade-II, Mechanical Road Roller I. C. and Cement Mixer etc, Road Roller, Road Roller Driver Grade-II, Driver(Engine Static, Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Rood Roller, Water pump, Mechanical Assistant, Road Roller, Mechanical Steam Crane, Tractor with Bull Dozer Mechanical, Transport Engine Static and Road Roller Boiler Attendant, Enjoin Operator (Stone Crusher Mechanical) Distemper, Electrician, Electrician (Grade-II, Class-II and Class-III), Fitter, Fitter(Selection Grade, Grade-II and III) Class-II and III Assistant, Pipe Class-II, Booking Clerk, Typist, Assistant Air Conditiong Operator, Pipe Line ending Bars for reinforcement cum-mechanic, Mechanic and Plumber), Gharami (Head), Glazier, Hole Driller for Blasting Joiner, Joiner (Cable, Cable Grade-II), Lineman (Grade-II, III, High Tension/Low Tension), Mason, Mason (Selection Grade, Grade-II, III and Class-B Mistry), Stone (Stone Class-II Brick Work, Stone Work), Brick-layer, Tile Flooring, B.I.M. Muccadam (Head), Stone Cutting, Babar chi, Karigar, Hallway, Maharaj,Assistant Maharaj, Rasoiya, Assistant Rasoiya, Head Bearer, Bread Karigar, Ice-Cream Mistry, Dosa Mastar, Ordinary Machanis, Mechanic, Mechanic (Class II, Air Conditioning, Air Conditioning Grade II Diesel Grade II Road Roller Grade II, Assistant Radio), Manson (Gharami), Mistry, Mistry Grade II, Air Conditioning Grade II, P. Way, Survey, Santras Works), Mason Class A, Moulder, Moulder (Brick, Tile), Painter Painter (Selection Grade, Grade II and III, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Polisher, Rough), Plasterer, Plasterer, (Mason Grade II), Plumber, Plumber (Selection Grade Class II), (Selection Grade Class II, Assistant Senior, Junior Mistry Grade II), Plumbing Mistry, Plumber-Cum-Fitter, Polisher, Polisher (Floor),Pump Driver, Pump **Driver**, (Selection Grade), Grade II and III, Class II), Pump

Driver (Selection Grade, P.E., Driver, Pumpman, Pumpman (Assistant), Plumber, Polisher(with Spray) Grade II, Ratan Man, Rivet Cutter (Assistant) Rivetter, Rivetter (Cutter), Road Inspector Grade II, Railway Plate Layer, Rod Bender, Sawyer, Sawyer (Selection Grade Class II), Serang, Serangpile Driving Pantooms with Boiler, Shapesman, Shift-inchareg, Sprayman, Sprayman (Roads), Stone Cutter, Srone Cutter (Selection Grade, Grade II, Class II), Stone Chisler, Stone Chisler (Class II), Stone Blasterer, Sub-Overseer (Unqualified), Surveyors, Surveyors (Assistant), Tailor (Upholstry), Transprayer, Tar Man, Line Man, Tiler Class II, Wall(Floor, Roof), Tiler(Selection Grade), Tin Smith, Tin Smith (Selection Grade, Grade II and III, Class II) Tinker, Tailors, Turner, Upholsterer, Upholsterer (Grade II and III), Painter Spray (Class II), Wood Cutter Class II, Work Sircar, Welder, Welder gas, Welder (Class II, Bridge Work), Well Sinker, White Washer, White Washer (Selection Grade Class, II) Wierman, Wireman (Grade II and III, Mechanic, Electrical), White Washing and Colour Washing Man, Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter), Boreman, Borer, Chipper, Chipper-Cum-Grinder, Cook(Head), Driller, Driller (Well Boring), Driver (Loco/Truck), Electrician (Assistant), Mechanic(Tube-Well), Mistry Stell, Tube-Well, Telephone), Meter Reader, Meterorogical Observer, Navghani, Operator (Batching Plant, Cinema Project, Clamp shelf, Compressor, Grane, Dorrick, Diesel Engine, Doser, Dragling Drill Dumber, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, Jack Hammer and Payment Breaker Loader, Pump, Pile Driving Scrapper, Screening Plant, Shval, Tractor, Vibrator, Weight Batcher, Railway Guards, Repairer (Battery), Sharper/Slotter, Sprayer (Ashalt) Station Master, Surveyor (Sllt), Trades-Man, Train Examiner, Turner/Miller, Tyre Vulcaniser, Chefs, Artisan, Confectioner, Maharaj, Assistant Maharaj, Cook, Roti Artisan, Ice cream mistri, Dossa Master, Pradhan Waiter, and any other categories by whatever name called, which involove skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and performance of which call for initiative or judgement and are of a skilled nature.

Clerical :-

M.C. Clerk, Munshi (matriculate, Non Matriculate), Store Clerk (Matriculate, Non Matriculate), Store Issuer, Store Keeper, Store Keeper Grade I, Grade II (Matriculate), Tally Clerk, Time Keeper, Time Keeper(Matriculate, Non Matriculate), Book Keeper, Work Munshi, Work Munshi (Subordinate), Accounts Clerk, Clerks, Computer, Telephone Operator, Typist, and any other categories by whatever name called, which are of clerical nature.

Highly Skilled:-

Armature Winder Grade I, Blacksmith Grade I and Class I, Boilerman Grade I, Boilerman Foreman Grade I, Brick Layer Class I, Cable Joiner Grade I, Carpenter Grade I and Class I, Celo Cutter and Decorator, Chargemen Class I Checker (Sr) Driver Lorry Grade I, **Grade I, Motor Lorry Grade I**, Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I, Road Roller Grade I, Pump Class Electrician Grade I and Class I/Grade I, Fitter (Grade I, Class I), Pipe Class I (Head), Foreman (Assistant) Line Man Grade I Mason (Skilled Grade I, Class I), Mast Rig, Mechanic Class I and Class II, Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller Grade I, Air Conditioning Grade I/Class I, Mistry Grade I, Mistry (Air Conditioning Grade I), Overseer (Senior and Junior), Painter (Grade I, Class I, Spray), Plaster (Mason) Class I, Plumber (Head, Class I), Mistry Grade I, Polisher (With spray Grade I, Road Inspector Grade

I, Sawyer Class I, Stone Cutter Class I, Stone Cutter Grade I, Stone Chester Class I, Stone Mason Class I, Sub-Overseer (Qualified), Tiller Class I, Tinsmith Grade I and Class I, Upholsterer Grade I, Varnisher Class I, Welder-Cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic, Welder (Gas) Class I, White Washer Class I, Wireman Grade I, Class I, Wood Cutter Class I, Grinder (Tool) Grade I, Operator (Batching Plant Grade I), Clamp Shell Grade I Air Conditioning Operator, Painter, Compressor Grade I, Crane Grade I, Diesel Engine Grade I, Dozer Grade I, Dragline Grade I, Drill Grade I, Dumper Grade I, Excavator Grade I, Fork Lift Grade I, Generator Grade I, Grader Grade I, Leader Grade I, Pile Driving Grade I, Pump Grade, Scrapper Grade I, Screening Plant Grade I, Pump Grade I, Scrapper Grade I, screening Plant Grade I, Shovel Grade I, Shovel and Dragline, Tractor Grade I, Vibrator Grade I, Rigger Grade I, Rigger Grade II, Head Babarchi, Head Khansama, Head Maharaj, Head Karigar, Chirper/ Sletter Grade I, Shovel and Dragline Tractor Grade I, Tradesman Class I, Tumer/Miller Grade I, Tyre Vulcaniser Grade I, Work (Assistant) Grade I and any other categories by whatever name called, which calls for a degree of perfection and full competence in performance of certain tasks, acquired through extensive technical or professional training or practical work experience for long years and also required of a worker to assume full responsibility for the judgment or decision is involved in the execution and are of a highly skilled nature.

F.N-01/Shrama.ka./Jha.Nyu.Ma.Pra.Sh./02/2019 Shra.Ni.-----Ranchi, Dated-----

By order of the Governor of Jharkhand,

Under Secretary,
Labour Commissioner Office,
Jharkhand
